



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236849
CG-DL-E-27062022-236849

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2753]
No. 2753]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

का.आ. 2893(अ).—केन्द्रीय सरकार, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 की उप-धारा (4) के साथ पठित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1986 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करती है तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ.486(अ), दिनांक 12 अगस्त 1986 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, -

(क) क्रम संख्या 2 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त:

"2. डॉ प्रमोद कुमार मेहरदा,
संयुक्त सचिव (पीपी, किसान कल्याण एवं डिजिटल/आईटी)
कृषि विपणन प्रभाग,
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

सदस्य
पदेन";

(ख) क्रम संख्या 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन नियुक्त:

"7. श्री जय करण सिंह, सदस्य";
सलाहकार (व्यापार),
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

(ग) क्रम संख्या 15 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन नियुक्त:

"15. श्री ओईनाम सरनकुमार सिंह, सदस्य";
आयुक्त
उद्योग और वाणिज्य
असम सरकार,
जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी - 6

(घ) क्रम संख्या 22 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त:

"22. श्री राजवीर सिंह, सदस्य"।
प्रबंध निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
लिमिटेड (नेफेड)
नेफेड हाउस, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक,
रिंग रोड, नई दिल्ली - 110014

[फा. सं. 6/33/2017-ईपी (एग्री. IV)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 12 अगस्त 1986 के संख्या का.आ. 486 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार दिनांक 17 मई, 2022 के का.आ. 2272 (अ.) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2022

S.O. 2893(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), read with rule 3 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Rules, 1986, the Central Government hereby appoints the following members of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority for a period of two years with effect from the date of publication of this notification and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce number S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986, namely:-

In the said notification, -

- (a) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 4:

- “2. Dr. Pramod Kumar Meherda, **Member ex-officio”;**
Joint Secretary (PP, Farmers Welfare & Digital /IT)
Agricultural Marketing Division,
Ministry of Agriculture, New Delhi.

- (b) for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4:

- “7. Shri Jay Karan Singh, **Member”;**
Advisor (Trade),
Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare,
Krishi Bhawan, New Delhi.

- (c) for serial number 15 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (f) of sub-section (4) of section 4:

- “15. Shri Oinam Sarankumar Singh, **Member”;**
Commissioner,
Industries & Commerce
Government of Assam,
Janata Bhawan, Dispur, Guwahati – 6

- (d) for serial number 22 and entry relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Appointed under clause (g) of sub-section (4) of section 4:

- “22. Shri Rajbir Singh, **Member”.**
Managing Director
National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.
(NAFED)
NAFED House, Siddhartha Enclave, Ashram Chowk,
Ring Road, New Delhi – 110014

[F. No. 6/33/2017-EP (Agri. IV)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide S.O. 486(E), dated the 12th August, 1986 and lastly amend vide S.O.2272 (E), dated the 17th May, 2022.